

सं. 4407/77/2017-बीसी-1

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

दिनांक 12.07.2017

एडवायजरी

विषय: टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारित करते समय ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के प्रावधानों का अनुपालन।

जबकि आयुष मंत्रालय ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि कुछ चैनल आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (आयुष) दवाओं के अतिरंजित या अनुचित दावों वाले विज्ञापन दिखाते हैं जो उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं और सेल्फ-मेडिकेशन के साथ संभावित स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। इन विज्ञापनों/प्रोग्रामों में स्वयंभू डॉक्टरों, गुरुओं और वैधों द्वारा सभी स्वास्थ्य समस्याओं का चमत्कारी समाधान पेश किया जाता है।

2. इन आयुष उत्पादों और आयुष दवाओं के भ्रामक विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 और उसके तहत समय-समय पर यथासंशोधित नियमों का उल्लंघन हैं।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और नागरिकों को भ्रामक विज्ञापन और स्वास्थ्य जोखिम से बचाने के लिए, सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर संशोधित ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारित करते समय इन नियमों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। आयुष स्वास्थ्य उत्पादों/दवाओं के संबंध में, टीवी चैनलों को केवल उन उत्पादों का विज्ञापन करने की सलाह दी जाती है जिनके पास आयुष मंत्रालय या राज्य औषधि लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा जारी वैध लाइसेंस है। किसी भी विफलता पर नियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर/-

[अमित कटोच]

निदेशक (बीसी)

दूरभाष: 2338 6394

सेवा में,

सभी चैनल

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), मैनेटेक हाउस, द्वितीय तल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा-201 301
2. अध्यक्ष, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) 8-304, तृतीय तल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110 049

सूचनार्थ प्रेषित प्रतिलिपि:

1. आयुर्वेद मंत्रालय, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, उन्नी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष), 'बी' ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली 110023 को दिनांक 14.6.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या के-11024/03/2013-DCC (आयुष) के संदर्भ में।
2. महासचिव, एएससीआई, बी/717, ऑरस चेंबर्स मार्ग, वर्ली, मुंबई-400018 को दिनांक 07.09.2016 के पत्र के संदर्भ में।

हस्ताक्षर/-

[अमित कटोच]

निदेशक (बीसी)

दूरभाष 2338 6394